न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडगांव /सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 5/2018 प्रार्थना पत्र

1. सरकार जरिये तहसीलदार बडगांव जिला –उदयपुर (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. नानसिंह पिता रूपसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
2. भंवरसिंह पिता रूपसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
3. प्रताप पिता रूपसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
4. भूरसिंह पिता रूपसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
5. तुलसीसिंह पिता रूपसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
6. देउबाई पिता रूपसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
7. प्रकाशसिंह पिता दलसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षैत्र कठार तहसील–बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
8. मनसुख पिता दलसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षैत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
9. पुष्पा पिता दलसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
10. घीसी पत्नी स्व. दलसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील–बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
11. मोहनसिंह पिता रोडसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील–बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
12. पनकी पत्नी स्व. रोडसिंह परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
13. सवा पिता देवा परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
14. भंवरिया पिता देवा परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
15. लछा पिता वरदा परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
16. किशना पिता देवा परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षैत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
17. कालु पिता देवा परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षेत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)

18. पना पिता देवा परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षैत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
19. भेरा पिता लाला परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षैत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
20. वजा पिता लाला परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षैत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
21. भारता पिता लाला परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षैत्र कठार तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर (राज.)
22. नना पिता भगा परमार निवासी – ग्राम तुला, पटवार क्षैत्र कठार तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांकः–

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित प्रकरण का अवलोकन किया गया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रतिवादीगण सर्व श्री नानसिंह भंवरसिंह प्रताप भुरसिंह तुलसीसिंह देउबाई पिता रूपसिंह, प्रकाशसिंह मनसुख पुष्पा पिता दलसिंह घीसी पत्नी स्व. दलसिंह, मोहनसिंह पिता रोडसिंह पनकी पत्नी स्व. रोडसिंह, सवा भवरिया पिता देवा, लछा पिता वरदा, किशना कालु पना पिता देवा, भेरा वजा भारता पिता लाला, नाना पिता भगा जाति परमार एवं सभी निवासी तुला के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जमाबन्दी सेग्रीगेशन प्रोग्राम के तहत सभी खातेदारो का हिस्सा अलग–अलग किया जाना है इस हेतु ग्राम तुला की जमाबन्दी में खातेदारों के हिस्सों की जांच किये जाने पर हाल खाता संख्या 172 में आराजी संख्या 536, 546, 569, 1848, 1888, 1892, 1931 कुल किता 7 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा में खातेदार नानसिंह भंवरसिंह प्रताप भुरसिंह तुलसीसिंह देउबाई पिता रूपसिंह 18/336 प्रकाशसिंह मनसुख पुष्पा पिता दलसिंह घीसी पत्नी स्व. दलसिंह 3/336 हि.ब. मोहनसिंह पिता रोडसिंह 2/42 पनकी बेवा रोडसिंह 1/42 सवा भवरिया पिता देवा 1/7 हिस्सा लछा पिता वरदा 1/7 किशना कालु पना पिता देवा 1/7 भेरा वजा भारता पिता लाला ब.वि. मु. का अंकन दर्ज है। उक्त खाते में सभी हिस्सों का योग मिलाकर 1/1 नहीं होता है जिससे हिस्सो का अकंन त्रुटीपूर्ण होने से इस बाबत पटवारी हल्का कठार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक लोसिंग से जांच करवायी गई जिससे जांच रिपोर्ट में भी उक्त हिस्सो में त्रुटी पूर्व भू–प्रबन्ध जमाबन्दी से ही होना जाहिर आया। पूर्व भू प्रबन्ध की जमाबन्दी संवत 2031 में भी उक्त खाता संख्या 86 में देवींग रूपा रोडा पिता चन्दा 3/21 हि.ब. सवा रूपा हेमा

भमरिया पिता देवा 1/7 हि.ब. लछा पिता वरदा 1/7 किशना कालु पन्ना पिता देवा 1/7 हि.ब. परथा पिता नन्दा 1/7 परमार सा. देह खातेदार अंकित है जिसमें हिस्सों का योग 1/1 नही बनने से त्रुटीपूर्ण है। जो तत्समय से आदिनांक तक बनने वाली सभी रोटेशन जमाबन्दीयो में त्रुटीपूर्ण अंकित होकर वर्तमान में भी त्रुटीपूर्ण ही अंकित है। हिस्सों में उक्त त्रुटी भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी बनाये जाने के दौरान हुई है। जो आदिनांक तक निरन्तर चली आ रही है इसी प्रकार सेटलमेन्ट जमाबन्दी के खातेदार परथा पिता नन्दा की मृत्यु होकर इनके वारिसान दो पुत्र लाला व भगा हुए जिनकी भी मृत्यु होकर लाला के वारिसान भेरा वजा भारता का नाम तो हाल जमाबन्दी में दर्ज है परन्तु भगा के पुत्र नाना का नाम हाल जमाबन्दी में अंकित नहीं है जबकि नाना भी मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबीज है। पटवारी हल्का कठार एवं भू-अभिलेख निरीक्षक लोसिंग द्वारा मौके पर जाकर मौतबिरान व पक्षकारान से की गई जांच अनुसार यह जाहिर आया कि उक्त खाते की आराजी संख्या 536, 546, 569, 1848, 1888, 1892, 1931 कुल किता 7 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा में मौके पर खातेदार श्री नानसिंह भमरसिंह भुरसिंह प्रताप तुलसीसिंह देउबाई पिता रूपा 6/42 प्रकाशसिंह मनसुख पुष्पा पिता दलसिंह घीसी पत्नी स्व. दलसिंह 1/42 हि.ब. मोहनसिंह पिता रोडसिंह पनकी पत्नी स्व. रोडसिंह 1/6 हि.ब. सवा भवरिया पिता देवा 1/6 लछा पिता वरदा 1/6 किशना कालु पना पिता देवा 1/6 भेरा वजा भारता पिता लाला 1/12 नाना पिता भगा 1/12 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौके पर काबिज उक्त हिस्सों अनुसार सभी हिस्सों का योग भी 1/1 हो रहा है। मौके पर कायम अनुसार हिस्सों का अंकन वर्तमान जमाबन्दी खाते में कराये जाने पर उपस्थित पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा मौके पर काबिज अनुसार हिस्सों का सहीं अंकन जमाबन्दी में करवाने हेतु निवेदन किया गया है। इस बाबत वास्ते प्रमाण प्रार्थी द्वारा दस्तावेज भू-प्रबन्ध जमाबन्दी व हाल जमाबन्दी की नकले एवं पटवारी हल्का कठार व भू-अभिलेख निरीक्षक लोसिंग द्वारा इस बाबत की गई मौका जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलबी करवाई जाकर दिनांक 10.01.18 को उनको इस बाबत अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया।

उपस्थित विपक्षीगण द्वारा आज दिनांक 10.01.18 को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु उपस्थित पक्षकारान ने मौके पर काबिज हिस्सों अनुसार भुमि खाते रखी जाने का निवेदन किया। गलत नाम या हिस्सा कम ज्यादा दर्ज हुआ है तो शुद्धि किये जाने पर कोई आपत्ति नही की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पटवारी हल्का कठार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक लोसिंग की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। समस्त दस्वातेज एवं रिपोर्ट से यह तथ्य जाहिर आया कि जमाबन्दी के प्रत्येक खाते में हिस्सों का योग 1/1 होना चाहिये। जो कि मौजा तुला की भू–प्रबन्ध जमाबन्दी संवत् 2031 से ही खाता संख्या 86 कुल आराजी किता 7 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा में त्रुटीपूर्ण हिस्सा अंकित है उक्त खाते में समस्त हिस्सो का योग 1/1 नहीं है जिससे हिस्सों का त्रुटीपूर्ण होना जाहिर होता है। उक्त त्रुटी संवत् 2031 से प्रत्येक रोटेशन जमाबन्दी में निरन्तर कायम रहते हुए वर्तमान जमाबन्दी में भी कायम होकर हिस्सों का योग 1/1 नहीं बन रहा है। मौका पर्चा रिपोर्ट से जाहिर है कि पक्षकारान मौके पर अपने अपने सही हिस्से पर काबिज अनुसार ही जमाबन्दी खाते में हिस्सों का सही अंकन कराने पर सहमत है। न्यायालय में उपस्थित पक्षकारान द्वारा भी उक्त मौके कब्जे अनुसार हिस्से दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं की है। जिससे न्यायालय का निष्कर्ष है कि विपक्षीगण खातेदारों का हिस्सा जमाबन्दी में वर्तमान गलत अंकित हिस्सों की बजाय दुरूस्त कर मौके पर काबिज हिस्सों अनुसार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं जमाबन्दी ग्राम तुला की हाल खाता संख्या 172 में आराजी संख्या 536, 546, 569, 1848, 1888, 1892, 1931 कुल किता 7 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा में हिस्सों को शुद्ध कर प्रार्थी तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रस्तावित मौके पर काबिज हिस्सों अनुसार नानसिंह भंवरसिंह प्रताप भुरसिंह तुलसीसिंह देउबाई पिता रूपसिंह 6/42 हि.ब. प्रकाशसिंह मनसुख पुष्पा पिता दलसिंह घीसी पत्नी स्व. दलसिंह 1/42 हि.ब. मोहनसिंह पिता रोडसिंह पनकी पत्नी स्व. रोडसिंह 1/6 हि.ब. सवा भवरिया पिता देवा 1/6 हि.ब. लछा पिता वरदा 1/6 किशना कालु पना पिता देवा 1/6 हि.ब. भेरा वजा भारता पिता लाला 1/12 नाना पिता भगा 1/12 हिस्सा जाति परमार सा. देह खातेदार का अंकन करने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार बडगांव हाल रेकर्ड एवं सेटलमेन्ट के पूर्व के रेकर्ड की पूर्ण जांच करके ही रेकर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी
(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बडगांव
जिला उदयपुर (राज.)